रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232490 SG-DL-E-07012022-232490

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2022/पौष 14, 1943[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 357No. 8]DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2022/PAUSHA 14, 1943[N. C. T. D. No. 357

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

फा. सं. 21/10/विनियोग—1/2022/एलएएस—VII/विधायी/0754.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2022

(2022 का विधेयक संख्याक 03)

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 जनवरी, 2022 को पुरःस्थापित किया गया)

वर्ष 2021–2022 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

57 DG/2022 (1)

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2022 है।

रु.2612,85,55,000/— का वर्ष 2021—2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हज़ार छह सौ बारह करोड़ पिच्यासी लाख पचपन हज़ार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2021–2022 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

उ. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रु. हजार में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा	संचित निधि पर	योग
संख्या			अनुदत्त	भारित	
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	100	0	100
2	सामान्य प्र"ाासन	राजस्व	4350850	1600	4352450
		पूँजी	480000	0	480000
3	न्याय प्र"ाासन	राजस्व	3268620	758210	4026830
		पूँजी	80000	0	80000
	वित्त	राजस्व	105581	60	105641
4		पूँजी	30000	0	30000
5	गृह	राजस्व	975000	0	975000
		पूँजी	200	0	200
		राजस्व	8300	0	8300
6	िंगक्षा	पूँजी	2676515	0	2676515
		राजस्व	2884900	100	2885000
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	पूँजी	600	0	600
7					
		राजस्व	7650	0	7650
	समाज कल्याण	पूँजी	100	0	100
8					
9	उद्योग	राजस्व	1086385	0	1086385
10	विकास	राजस्व	9405089	0	9405089
		पूँजी	200	0	200
		राजस्व	1000	3900	4900
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	पूँजी	2200	1395	3595
	योग		25363290	765265	26128555

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2022, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया)

उप-मुख्य मंत्री / वित्त मंत्री

दिल्ली 4 जनवरी, 2022

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2022 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

राज कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 4th January, 2022

F. No. 21/10/Apprn.1/2022/LAS-VII/Leg./0754.—The following is published for general Information:—

THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2022

(BILL No. 03 OF 2022)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2021-2022.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

Issue of Rs.2612,85,55,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.

Appropriation.

- 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2022.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees two thousand six hundred twelve crore eighty five lakh fifty five thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2021-2022 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
- 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE (See sections 2 and 3)

(Rs. In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	П		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	100	0	100
2	General Administration	Revenue	4350850	1600	4352450
		Capital	480000	0	480000
3	Administration of Justice	Revenue	3268620	758210	4026830
		Capital	80000	0	80000
	Finance	Revenue	105581	60	105641
4		Capital	30000	0	30000
5	Home	Revenue	975000	0	975000
		Capital	200	0	200
		Revenue	8300	0	8300
6	Education	Capital	2676515	0	2676515
		Revenue	2884900	100	2885000
7	Medical and Public Health	Capital	600	0	600
		Revenue	7650	0	7650
8	Social Welfare	Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	1086385	0	1086385
10	Development	Revenue	9405089	0	9405089
		Capital	200	0	200
11	Urban Development and	Revenue	1000	3900	4900
	Public Works	Capital	2200	1395	3595
	Total	-	25363290	765265	26128555

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 1) Bill, 2022 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.

(MANISH SISODIA)

Dy. Chief Minister/Finance Minister

Delhi, 4 January, 2022

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RAJ KUMAR, Secy.